

संकल्प

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक-4392 दिनांक-09.11.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि डा0 कुमारी अर्चना, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल, टिकारी, गया दिनांक-04.06.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं।

2. उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए डा0 अर्चना के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय संकल्प सं0-110(9) दिनांक-28.01.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच-प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप प्रमाणित होने का मतव्य दिया गया। तदुपरांत विभागीय पत्रांक-1424(9) दिनांक-26.11.2019 द्वारा डा0 अर्चना से द्वितीय कारण-पृच्छा की गई। डा0 अर्चना द्वारा दिनांक-22.01.2020 को द्वितीय कारण-पृच्छा समर्पित किया गया। अन्ततः द्वितीय कारण-पृच्छा प्रतिउत्तर की समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा डा0 अर्चना को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने हेतु शास्ति अधिरोपित करने का विनिश्चय किया गया।

3. उक्त शास्ति प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-3342 दिनांक-11.02.2022 द्वारा आयोग की सहमति एवं दिनांक-05.08.2022 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-07 पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

4. तदनुसार डा0 कुमारी अर्चना, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल, टिकारी, गया को दिनांक-04.06.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सरकारी सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

आदेशः—संकल्प की प्रति डा0 कुमारी अर्चना एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राम ईश्वर)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-9/आ0-02-03/2019(स्वा0) 681(9) पटना, दिनांक: 18/8/22
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (बै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें मगध प्रमंडल गया/सिविल सर्जन, गया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-डा0 कुमारी अर्चना, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमण्डलीय अस्पताल, टिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री (स्वा०) के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव स्वा० के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, शेखपुरा, पटना/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2,3,5,7,8,10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

✓ प्रतिलिपि:-आईटी० मैनेजर, स्वा० विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-Departmental PMU Lead को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।